तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28.12.2020	पत्रावली पेश हुई। राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी परवीन बानो द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। शामिल मिसल रहे। पक्षकारान को सुना गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में विधिपूर्वक राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जो प्रक्रियाधीन है, माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के कारण प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लम्बित है, अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र के निम्नांकित उद्धरण/न्यायिक दृष्टान्तों को लिखित बहस के प्रस्तुत कियः–1. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.1(124)राज.भू.रू./94 दिनॉक 27.01.1996– जहॉ कृषि भूमि को केवल भू–खण्डों में बांटा गया हो और उस पर केवल मात्र चार दीवारी हो तो उसे गैर कृषि कार्य में उपयोग में लिया जाना तब तक नही कहा जा सकता जब तक कि उस पर निर्माण नही हो गया हो (RRD1993 Page 741) प्रार्थी राज पैरोकार द्वारा उक्त भूमि में निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि को अकृषि प्रयोजन में लिया है इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पुख्ता की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 6.10.2020 का मनन किया गया, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि का प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रस्तुत किया हुआ है, यदि प्रार्थना–पत्र लंबित रहता है तो अप्रार्थीगण को भारी क्षति होगी तथा धारा 90 क का प्रार्थना–पत्र निरस्त नही हो सकेगा। प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का उद्देश्य अप्रार्थी की भूमि को बिना विधिक अनुमति काम मे लेने से रोकने का था, जिसके लिए अप्रार्थी द्वारा पालना मानते हुए ही प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष धारा 90 क प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 90 के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तथा अपनी भूमि को धारा 90 क के तहत रूपान्तरित कराना चाहता है। अत प्रार्थना–पत्र ऐसी स्थिति में चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज है, अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2020.12.31 15:08:09 IST Reason: SelfAttested	